न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

प्रा.पत्र संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/140/2021	2021/326	08.10.2021	30.11.2021

1– कमला देवी पत्नी स्व0 श्री शिम्भू जाति मेघवाल
2– चुन्नीलाल पुत्र स्व0 श्री शिम्भू जाति मेघवाल
3– धनीराम पुत्र स्व0 श्री शिम्भू जाति मेघवाल
4– संदीप पुत्र स्व0 श्री शिम्भू जाति मेघवाल निवासी ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर।
5– बादामी पुत्री स्व0 श्री शिम्भू पत्नी जयप्रकाश जाति मेघवाल
6– यशोदा पुत्री स्व0 श्री शिम्भू पत्नी गिरदारी जाति मेघवाल निवासी हाल माजरी भाण्डा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
7– कृष्णा पुत्री स्व0 श्री शिम्भू पत्नी रूपसिंह जाति मेघवाल निवासी हाल काली पहाड़ी तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
8– संतोष पुत्री स्व0 श्री शिम्भू पत्नी योगेश जाति मेघवाल निवासी हाल भोपाल बसई तहसील नीमराना जिला अलवर।

–प्रार्थीगण

बनाम

1– किशोर पुत्र बालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।
2– मुरारीलाल पुत्र पंचूराम जाति मेघवाल
3– महेश उर्फ मुकेश पुत्र पंचूराम, जाति मेघवाल
4– कुलदीप पुत्र पंचूराम जाति मेघवाल निवासीयान कस्बा बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–
01. श्री कालूराम बलाई –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी बानूसर के न्यायालय में विचाराधीन वाद बअनुवानी शिम्भू (मृतक) कमला देवी बनाम किशोर वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर तलब किया गया।

विद्वान वकील प्रार्थी ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म तथ्य इस प्रकार हैः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट 1955 बउनवान शिम्भू (मृतक) कमला देवी वगै0 बनाम किशोर वगै0 विचाराधीन है। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। पीठासीन अधिकारी प्रार्थी के अधिवक्ता को कई बार कह चुके है कि दावें में कोई दम नहीं है। दावा खारिज करूंगा। इस दावें को निर्णय करने हेतु भारी राजनीतिक दबाव है। अप्रार्थी संख्या 1 को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में कई बार आते–जाते देखा गया है। अप्रार्थी सं0 1 खुलेआम कहता है कि तुम्हारा दावा खारिज करवा कर रहूंगा। प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। विचाराधीन मुकदमें को किसी दीगर सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय मुंतकिल करवाना चाहते

जिला कलक्टर, अलवर

है। अप्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा से कोई लेना देना नहीं है। प्रार्थी की आराजी पर जबरन नाजायज कब्जा करने पर उतारू है। ऐसी उपस्थिति में दावा खारिज फरमा दिया गया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन वाद अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट 1955 बउनवान शिम्भू मृतक कमला देवी वगै0 बनाम किशोर वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर से किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण का उक्त आराजी पर शुरू से ही कब्जा है। स्वंय प्रार्थी ही इस वाद को लम्बा चलाना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा मनगढंत तथ्य दर्ज किए है। पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थीगण का कोई संबंध व संरोकार नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अंकित तथ्य झूठे और बेबुनियाद है। फिर भी यदि न्यायालय श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल करते है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी बानसूर ने अपना जबात प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि प्रा0पत्र में अंकित समस्त तथ्य झूठे, मनगढंत व मनमाने ढंग से अंकित किये गये है। पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय के सिद्धांत पर निष्पक्ष कार्य किया जाता है। पीठासीन अधिकारी न्यायिक अधिकारी होने के साथ–साथ प्रशासनिक अधिकारी भी है, जिससे आम लोग अपनी समस्या लेकर आते रहते है। लेकिन पीठासीन अधिकारी का उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या, मनमाने व निराधार कथन अंकित किये है। पीठासीन अधिकारी द्वारा गुणावगुण व मैरिट के आधार पर निष्पक्ष कार्य किया जाता है। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में पक्षकारान व वकुलाय की उपस्थिति में न्यायिक प्रक्रिया तहत कार्यवाही की जाती है। यदि प्रकरण को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में मुंतकित किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा भी अपनी बहस में उक्त विवादित विचाराधीन प्रकरण को अन्य किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु अनापत्ति जाहिर की है। मुंतकिल प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 आरटीएक्ट 1955 बउनवान कमला देवी वगै0 बनाम किशोर वगै0 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बानसूर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर प्रकरण में नियमानुसार शीघ्र सुनवाई कर प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी बानसूर एवं उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2021 को अद्योहस्तारकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)